23

भूमि हस्तान्तरण

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	भूमि हस्तान्तरण किये जाने हेतु प्राधिकार	सं0–260/वि0अनु0–3/2002, देहरादून, दिनांक–15 फरवरी, 2002	29–30

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग- 3
संख्या: 260 / वि.अनु. 3/2002
देहरादून: दिनांक: 15 फरवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के एक सेवा विभाग (Service Deptt.) द्वारा दूसरे सेवा विभाग को कोई सेवा व सम्पूर्ति वर्तमान नियमों के अनुसार बिना मूल्य लिए की जाती है इस सिद्धान्त क अनुसार एक सेवा विभाग द्वारा कोई भूमि या भवन जिसकी उस विभाग को आवश्यकता न हो, दूसरे सेवा विभाग को बिना मूल्य लिए हस्तान्तरित की जा सकती है। परन्तु ऐसे मामलों में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होती है। वित्तीय अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सिलसिले में वित्त विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि भूमि हस्तान्तरण के मामलों मे प्रशासकीय विभाग को पूर्ण अधिकार प्रतिनिहित कर दिये जायें। प्रस्ताव पर समुचित विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय प्रशासकीय विभागों के सचिवों को राज्य के एक सेवा विभाग द्वारा दूसरे सेवा विभाग को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत भूमि हस्तान्तरण करने के अधिकार प्रतिनिहित करते हैं।

1. भूमि का हस्तान्तरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों मे भूमि के बाजार मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण किया जा रहा हों वह एक अनुमोदित परियोजना हों और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हों तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तान्तरण किया जाये जितना काम विशेष के लिए आवश्यक हो।

3. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नही।

4. यदि भूमि वन विभाग की "रक्षित वन भूमि" हो तों वह हस्तान्तरण के बाद भी "रक्षित वन भूमि" बनी रहेगी। "रक्षित वन भूमि" के हस्तान्तरण से सम्बन्धित ग्रामवासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तान्तरित भूमि के उपयोग करने के साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नही कराई जायेगी।

5. वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तान्तरित "भूमि को कोई मूल्य नहीं लेगा लेकिन यदि उस भूमि पर पेड इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तों प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतानकरना पडेगा।

6. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तों उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा, और यदि

-----2-----

भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग मे नही लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा ।

7. सीमा सड़क संगठन को अन्य सेवा विभागों की अतिरिक्त भूमि सड़क निर्माण हेतु वनसंरक्षण अधिनियम,1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी ।

8. उत्तरांचल राज्य में स्थित अन्य सरकारी भूमि सड़क निर्माण हेतु सीमा सड़क संगठन को निःशुल्क हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है,उसकी सहमति / अनापत्ति लिखितरूप से प्राप्त कर ली गई है ।

2. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 में आवश्यक संशोधन यथा समय अलग से किए जायेंगे ।

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव ।

संख्या: 260 /वित्त अनुभाग-3/2002,तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) समस्त सचिव/अपर सचिव,उत्तरांचल शासन ।

(2) महालेखाकार,उत्तरांचल ।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र शर्मा)
अनु सचिव,वित्त ।